

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक-04/STA-(विविध)-01/2024

पटना, दिनांक-

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a)के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-8866, दिनांक-09.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत पूर्व से अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों के अतिरिक्त अनुसूची-क(i) के रूप में कुल 06(छः) नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया जाता है।

अधिसूचना संख्या-8866, दिनांक-09.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत पूर्व से अधिसूचित मार्गों में से मार्ग संख्या-MPPY 624 में आंशिक संशोधन किया जाता है।

शेष यथावत रहेगा।

अनुलग्नक-अनुसूची-'क'-(i) एवं 'क'-(ii)

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

अपर सचिव।

ज्ञापांक-04/STA-(विविध)-01/2024

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव।

ज्ञापांक-04/STA-(विविध)-01/2024

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/प्रसाशन मुख्य, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार, पटना/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव।

ज्ञापांक-04/STA-(विविध)-01/2024

पटना, दिनांक- 1405 18.2.28

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी सहायक/श्री गुप्तेश्वर सिंह, डाटा इंटी ऑपरेटर, परिवहन विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक-04/STA-(विविध)-01/2024

पटना, दिनांक-

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a)के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-8866, दिनांक-09.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत पूर्व से अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों के अतिरिक्त अनुसूची-क(i) के रूप में कुल 06(छः) नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया जाता है।

अधिसूचना संख्या-8866, दिनांक-09.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत पूर्व से अधिसूचित मार्गों में से मार्ग संख्या-MPPY 624 में आंशिक संशोधन किया जाता है।

शेष यथावत रहेगा।

अनुलग्नक-अनुसूची-'क'-(i) एवं 'क'-(ii)

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

अपर सचिव।

ज्ञापांक-04/STA-(विविध)-01/2024

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव।

ज्ञापांक-04/STA-(विविध)-01/2024

1405

पटना, दिनांक- 18.02.26

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/प्रसाशन मुख्य, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार, पटना/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

18.02.26

अपर सचिव।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक-04/STA-(विविध)-01/2024

- 1405

पटना, दिनांक-18.2.26

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a)के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-8866, दिनांक-09.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत पूर्व से अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों के अतिरिक्त अनुसूची-क(i) के रूप में कुल 06(छः) नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया जाता है।

अधिसूचना संख्या-8866, दिनांक-09.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत पूर्व से अधिसूचित मार्गों में से मार्ग संख्या-MPPY 624 में आंशिक संशोधन किया जाता है।

शेष यथावत रहेगा।

अनुलग्नक-अनुसूची-'क'-(i) एवं 'क'-(ii)

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
18.2.26  
अपर सचिव।

मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत बसों के परिचालन हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के तहत अधिसूचित होने वाले नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की सूची :-

अनुसूची- 'क'(i)

क्रम सं०	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग का भाया	मार्ग की दूरी (कि०मी०)	अभियुक्ति
1	MPPY2046	बेगूसराय से महसौढ़ी चौक जमुई	जीरोमाईल, बड़हिया, लखीसराय, रामगढ़चौक, मोहददीनगर मोड़, हलसी खड़गौर मोड़	80	आर.टी.ए. मुंगेर
2	MPPY2047	मंजौस से बेगूसराय	सिकन्दरा, हलसी, रामगढ़चौक, लखीसराय, स्टैण्ड, बहड़हिया, जीरोमाईल	77	आर.टी.ए. मुंगेर
3	MPPY2048	रामचन्द्रपुर/पिपरिया प्रखण्ड से बरबीघा	वलीपुर, विद्यापीठ, लखीसराय स्टैण्ड, रामगढ़चौक, गिरिहिण्डा शेखपुरा हटिया मोड़	65	आर.टी.ए. मुंगेर
4	MPPY2049	रामचन्द्रपुर से शेखपुरा	लखीसराय, रामगढ़चौक, शेखपुरा	50	आर.टी.ए. मुंगेर
5	MPPY2050	रामचन्द्रपुर से सिकन्दरा	लखीसराय, रामगढ़चौक, हलसी	42	आर.टी.ए. मुंगेर
6	MPPY2051	डंडारी प्रखंड से खगड़िया डुमरी	बलिया, साहेबपुर कमाल, कुरहा, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, करुआमोड़ एवं उसराहा	28	आर.टी.ए. मुंगेर

7

मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत बसों के परिचालन हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के तहत अधिसूचित होने वाले अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों में संशोधित मार्ग की सूची :-

अनुसूची- 'क' (ii)

क्रम सं०	मार्ग संख्या MPPY	पूर्व से अधिसूचित मार्ग का नाम	पूर्व से अधिसूचित मार्ग का भाया	संशोधित मार्ग का नाम	संशोधित मार्ग का भाया	मार्ग की दूरी (कि०मी०)	अभियुक्ति
1	MPPY 624	ततारी से आरा	करत, जेठवार, नोनार, पीरो	ततारी से आरा	करत, जेठवार, नोनार, पीरो, चरपोखरी	60 कि०मी०	आर.टी.ए. पटना

17